न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 01/2020
दायर दिनांकः 19.10.2020
निर्णय दिनांक 10.12.2024

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता हरिराम कीर निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री मगनीराम पिता प्यारा कीर निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द

— अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण संख्या निगरानी/एल.आर./2022/2013/ राजसमन्द अनवान मोहनलाल पुत्र हरिराम, मगनीराम पुत्र प्यारा समस्त जाति कीर निवासी ग्राम पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 में यह निर्देशित किया गया कि **" प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण मूल ही न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि वे सभी संबंधित आवश्यक पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः विधि अनुसार निस्तारण करें"।**

निर्देशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आचार्य उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को बार–बार जवाब हेतु कई अवसर दिये गये एवं दिनांक 13.02.2024 को जवाब हेतु अंतिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा आइन्दा पेशी पर जवाब पेश न करने पर जवाब स्वतः बंद माना जावें। समुचित अवसर देने के उपरान्त भी अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी के बार–बार अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सूनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम पिपली आचार्यान के गत भू माप के खसरा संख्या 1279 रकबा 22–03 बीघा व खसरा संख्या 2091 रकबा 202–05 बीघा भूमि बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित थी। जिसके संवत 2030 में वक्त सेटलमेन्ट नवीन आराजी संख्या 3192/3108 रकबा 51–10 बीघा किस्म बंझड दर्ज कर दी गई एवं उक्त आराजी संख्या में से 05–00 बीघा भूमि दिनांक 25.12.1978 को अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित की गई। जिसके वर्तमान आराजी संख्या 3610/3192 रकबा 04 बीघा 18 बिश्वा किस्म बारानी तृतीय तथा आराजी संख्या 3511/3192 रकबा 02 बिश्वा किस्म आ0चा0 अप्रार्थीगण के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रैणी की होने से कानूनन आवंटन नही किया जा सकता हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पीपली आचार्यान के आराजी संख्या 3610/3192 रकबा 04 बीघा 18 बिश्वा किस्म बारानी तृतीय तथा आराजी संख्या 3511/3192 रकबा 02 बिश्वा किस्म आ0चा0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान में स्थित भूमि ख.नं. 3610/3192 रकबा 04 बीघा 18 बिश्वा किस्म बारानी तृतीय तथा ख.नं. 3511/3192 रकबा 02 बिश्वा किस्म आ0चा0 जो कि बंदोबस्त से पूर्व नदी अंकित थी एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी के खाते में दर्ज की गई है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थी के नाम पर अंकित भूमि बंदोबस्त से पूर्व से ही मूलतः गैर मुमकिन नदी थी, जो धारा 16 R.T.A. 1955 के अन्तर्गत आवण्टन/नियमन खातेदारी/गैर खातेदारी हक के लिए प्रतिबन्धित है। चूंकि नये बंदोबस्त में भूमि की किस्म बजंड़ (बारानी तृतीय) अंकित की गयी है जिसका कोई न्यायोचित आधार नहीं है जिससे बंदोबस्त अभिलेख की त्रुटि को दुरस्त करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के नाम किया गया आवण्टन भी विधि शून्य पाया जाता है। धारा 88 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ऐसी समस्त भूमियां राज्य सरकार की सम्पति है तथा ऐसी भूमियों पर निहित समस्त अधिकार राज्य को सम्पति घोषित है। अतः अप्रार्थी के नाम पर इस भूमि का

किया गया अंकन विधि विपरीत है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.04 के निर्देशो में एवं धारा 88 (2) R.L.R. एक्ट 1956 एवं धारा 16 R.T.A. 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की तरफ से उपरोक्त तथ्यों के खण्डन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे कि यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हो।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दु संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपली आचार्यान वर्तमान तहसील कुंवारिया में स्थित भूमि आराजी संख्या 3610/3192 रकबा 04 बीघा 18 बिश्वा किस्म बारानी तृतीय तथा आराजी संख्या 3511/3192 रकबा 02 बिश्वा किस्म आ0चा0 अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द, असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद